साबित या अनुमानित । इसके अलावा, प्राकृतिक या अप्रत्याशित परिभ्रमण के कारण, जीवित बच्चे के जन्म को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार, इस तरह की निरंतरता के कारण मां के गर्भ में अभी भी बच्चे की ओर से आवेदन दाखिल करने से इस तरह की कार्यवाही में अस्पष्टता आएगी और पत्नियों, बच्चों या माता-पिता को निराश्रित होने से बचाने के लिए त्वरित मुख्य भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने वाले इस प्रावधान को लागू करने में विधायिका का ऐसा इरादा नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण भत्ते को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा जाता है, तो इससे नाबालिग बच्चे को कठिनाई होगी, फिर भी ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उसकी ओर से आवेदन उसके जन्म तक सुनवाई योग्य नहीं था, हालांकि माँ ने मूल आवेदन में अजन्मे बच्चे की ओर से भरण-पोषण भत्तेका दावा किया था। इसके अलावा, मां नाबालिग बच्चे की ओर से एक नया आवेदन दायर कर सकती है।

(5) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इस याचिका को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं तदनुसार आदेश देता हूं।

एस.सी.के.

न्यायमूर्ति जय सिंह सेखों के समक्ष

करतार कौर और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - उत्तरदाता।

आपराधिक विविध संख्या 1988 का 4262-एम।

6 दिसंबर, 1990।

*दंड प्रक्रिया संहिता। 1973 (*1974 का *II*) - *धारा* 156 (3) और 482 - मजिस्ट्रेट के *समक्ष दायर आपराधिक शिकायत - मजिस्ट्रेट ने* धारा 156 (3) *के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया।* , *मजिस्ट्रेट केवल जांच का निर्देश दे सकता है और पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता है - हालांकि, इस तरह की अनियमितता से कार्यवाही प्रभावित नहीं होती* है - *शिकायत में आरोप विशिष्ट पाए जाते हैं - एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है।*

*धारा*156 पर एक नज़र डालने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि ये प्रावधान पुलिस अधिकारी

की शक्तियों से संबंधित हैं, जो मैजिसट्रेट के आदेश के बिना अपराध के संज्ञान से जुड़े मामलों की जांच कर सकते हैं। इस धारा की उपधारा (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत शिकायत प्राप्त करने के लिए 485 सक्षम मजिस्ट्रेट को ऐसी जांच का आदेश देने का अधिकार देती है, यानी इस धारा की उपधारा (1) के तहत जांच ।   आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा   (1992)2

। संहिता की धारा 190 शिकायत या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर या किसी अन्य स्रोत, व्यक्ति आदि से प्राप्त सूचना पर किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संबंधित है। इस प्रकार यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि केस के पंजीकरण के संबंध में मजिस्ट्रेट का आदेशनिश्चित रूप से कानूनी रूप से अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। मामले की जांच अभी चल रही है। पुलिस द्वारा की गई जांच से अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि संहिता की धारा 154 के तहत एफ.आई.आर. के पंजीकरण के लिए संज्ञान अपराध का कोई मामला नहीं बनता है और यह आसानी केवल मजिस्ट्रेट के उपर्युक्त संदर्भित आदेश के कारण दर्ज की गई थी। इस प्रकार इस समयपूर्व अवस्था में, यह मजिस्ट्रेट की ओर से एक साधारण अनियमितता प्रतीत होती है, जिसका परिणाम अपने आप में पूरी प्रक्रिया को खराब नहीं करेगा। दुर्व्यवहार और क्रूरता के संबंध में आरोप विशिष्ट हैं। मामले की अभी जांच की जा रही है। इस प्रकार इस स्तर पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस संबंध में आरोप प्रकृति में अस्पष्ट हैं। इसलिए एफ.आई.आर. को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 6, 7, 8 और 101)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई कि कृपया याचिका स्वीकार कर ली जाए। एफ.आई.आर. नंबर 428 सन 1987 थाना अम्बाला धारा 406, 498-4 आईपीसी के तहत रद्द किया जा सकता है।

यह भी कहा जाता है *कि याचिका के लंबित रहने के दौरान आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।*

मलकीत सिंह। याचिकाकर्ता के लिए वकील /

प्रतिवादी- राज्य की ओर से रघबीर चौधरी, वकील।

आर. के. अग्रवाल, वकील, *प्रतिवादी संख्या* 2. *के लिए।*

<u>निर्णय</u>

जय सिंह सेखों, न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) आरोपी-याचिकाकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता, 1978 की धारा 482 के तहत इस याचिका के माध्यम से, धारा 498-ए के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन, अंबाला शहर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 428, दिनांक 26 नवंबर 1987 को रद्द करने की मांग करते हैं। और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और उसके परिणामस्वरूप होने वाली आगे की कार्यवाही, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता है और केवल मामले की जांच का आदेश दे सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि स्त्रीधन या दहेज सौंपने और दुर्व्यवहार और क्रूरता के संबंध में कोई विशेष आरोप नहीं हैं।

(2) इस मामले के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता सुश्री बख्शीश कौर ने अंबाला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुलग्नक पी -1 की प्रति, शिकायत दर्ज की, जो निम्नानुसार है:

(1) शिकायतकर्ता की शादी 12 दिसंबर, 1985 को अंबाला शहर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार आरोपी नंबर 1 से हुई थी और 10 नवंबर, 1986 को आरोपी को शादी के बंधन में डाल दिया गया था।

(2) आरोपी नंबर 1 शिकायतकर्ता का पति है और आरोपी नंबर 2 ससुर है और आरोपी नंबर 3 सास है और आरोपी नंबर 4 और 5 और देवर (शिकायतकर्ता के क्रमशः जेठ और देवर) हैं।

(3) विवाह के उत्सव के समय, सूची अनुलग्नक 'ए' में विस्तृत लेख शिकायतकर्ता की मां और उसके संबंधों द्वारा शिकायतकर्ता के उपयोग के लिए उपहार और उपहार के रूप में दिए गए थे, जिसमें गहने के महंगे आइटम शामिल थे।

(4) शादी के समय शिकायतकर्ता को स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त - किया गया था और वह मेडिकल कॉलेज, रोहतक में सेवारत थी और 1,200 रुपये प्रति माह का अच्छा वेतन ले रही थी।

(5) शादी के तुरंत बाद, शिकायतकर्ता ने अपने पति और शिकायत के शीर्षक में उल्लिखित अन्य संबंधों को लालची व्यक्ति पाया, जिसने शिकायतकर्ता को अधिक पैसा और अन्य सामान लाने के लिए देखना शुरू कर दिया क्योंकि वे उसकी शादी में शिकायतकर्ता के

संबंध द्वारा दिए गए दहेज (उपहार और उपहार) से संतुष्ट नहीं थे। शिकायतकर्ता (बीमार) नहीं थी और जब भी वह छुट्टी पर आती थी, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल के अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप कई वेतन वृद्धि रुक जाती थी, जिससे शिकायतकर्ता को अनकही आर्थिक चूक का सामना करना पड़ता था और इस प्रकार शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी एक शादी में भी शुरू हो जाता था और अंततः शिकायतकर्ता को रोहतक में नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और उसके ससुराल वालों ने उसे करनाल के पास बलिया में शामिल होने के लिए कहा।

(6) शिकायतकर्ता ने 10 अप्रैल, 1987 को करनाल के पास भल्ला पीएच में नौकरी शुरू की। यहां तक कि वहां भी क्रूरता की जाती है

शिकायत के शीर्षक में उसके पति और उसके रिश्तेदार को कभी भी नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने शिकायतकर्ता को अधिक दहेज लाने के लिए उकसाया और उन्होंने 25,000 रुपये नकद और एक रंगीन टी.वी. भी की मांग की और चूंकि शिकायतकर्ता का कोई पिता नहीं है, इसलिए वह अपने पति और ऊपर उल्लिखित संबंधों द्वारा की गई गैरकानूनी मांगों को पूरा करने में असमर्थ थी और ऐसा करने से इनकार करने पर उसे उसके देवर द्वारा शारीरिक रूप से मजबूर किया गया था। 29 अप्रैल, 1987 के बाद शिकायतकर्ता के पति और उसके रिश्तेदारों ने शिकायतकर्ता को तब तक ससुराल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है जब तक कि वह दहेज का अधिक सामान जैसे 25,000 रुपये नकद और एक रंगीन टीवी और अन्य सामान जैसे 8 कुर्सियों के साथ डाइनिंग टेबल नहीं लाती है।

(7) शिकायत के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ए' में उल्लिखित लेख शादी के समय आरोपी संख्या 1 से 5 को सौंपे गए थे, जिसे उन्होंने 29-अप्रैल, 1987 के बाद अपने स्वयं के उपयोग के लिए दुरुपयोग किया है, जब शिकायतकर्ता को उसके वैवाहिक घर से दुर्व्यवहार और शारीरिक पिटाई के बाद उसके ससुराल से बाहर कर दिया गया था।

(8) उन्होंने कहा कि कैनाल के पास बलिया पीएचसी में शामिल होने के बाद आरोपी व्यक्ति उसे तरह-तरह के संदेश भेज रहे हैं और उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर वह गांव बलिया में अधिक समय तक रहती है तो उसे मार दिया जाएगा या उसके साथ बलात्कार किया जाएगा और धमकियों के कारण शिकायतकर्ता ने शुरू में 23 दिनों की छुट्टी

ली और उसके बाद एच महीने की छुट्टी ली और 26 अक्टूबर 1987 को ज्वाइन कर लिया ।

(9) अपने ससुराल में रहने की अवधि के दौरान शिकायतकर्ता को विभिन्न प्रकार की क्रूरता का सामना करना पड़ा, जिसमें शारीरिक पिटाई और अपर्याप्त दहेज लाने और उनकी गैरकानूनी मांगों को पूरा करने केलिए उसके पति के रिश्तेदार द्वारा ताने और सवाल / वैवाहिक घर व्यर्थ साबित होता है। आरोपी और उसके रिश्तेदारों ने खुद को क्रूरता करने से नहीं रोका है। इसलिए यह शिकायत दर्ज की गई है।

(10) कि अपने ससुराल में रहने की अवधि के दौरान शिकायतकर्ता पर उसके पति द्वारा आरोप लगाया गया था और अपने पति और आरोपी व्यक्तियों के साथ उम्र में बुजुर्ग होने के उसके संबंध शिकायतकर्ता को धमकी दे रहे हैं किवे उसके पति से फिर से शादी करेंगे और खुले तौर पर कहा कि उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। शिकायतकर्ता आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई क्रूरता ओं के ऊपर इस आश्वासन के साथ पेश कर रही थी कि उसका पतिकुछ समय बिताएगा और शिकायतकर्ता को उसके ससुराल में सौहार्दपूर्ण तरीके से रखने के लिए अपने रिश्ते को भी राजी करेगा, लेकिन जब उसे 29 अप्रैल के बाद ससुराल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई तो सभी की उम्मीदें टूट गईं। 1987 और अनुबंध 'ए' में वर्णित दहेज की वस्तुओंको आरोपी व्यक्तियों द्वारा वापस नहीं किया गया था जब उन्हें पंचायत में उसके और उसके

संबंधों द्वारा इतनी मांग की गई थी। पंचायत में श्री धर्मवीर, बहनोई (जीजा), हरमोहिंदर, शिकायतकर्ता की बड़ी बहन, शिकायतकर्ता की बड़ी बहन जसबीर और शिकायतकर्ता के भाई श्री जोगिंदर सिंह शामिल थे, जिन्होंने बार-बार आरोपी व्यक्तियों को शिकायतकर्ता के पुनर्वास के लिए समझाया, लेकिन उन्होंने हर बार25,000 रुपये नकद की मांग की। एक डाइनिंग टेबल आदि और पंचायत के सदस्यों ने यह भी मांग की कि चूंकि शिकायतकर्ता को उसके ससुराल से मना कर दिया गया है, इसलिए आरोपी व्यक्तियों को अनुबंध 'ए' में विस्तृत लेख वापस करना चाहिए, जो उसका स्त्री धन था, लेकिन आरोपी व्यक्ति शिकायतकर्ता और उसके प्रतिवेदन को मानने में विफल रहे।

(11)यह कि आरोपी व्यक्तियों ने इस माननीय न्यायालय केसंज्ञान में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 406 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि शिकायत को मामला दर्ज करने और जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया जाए या कोई अन्य उचित आदेश पारित किया जाए और आरोपी व्यक्तियों से कानून के अनुसार निपटा जाए।

(3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत पर अपराध का संज्ञान लिए बिना आदेश के *तहत* अनुबंध पी-2 की प्रति देते हुए शिकायत को मामला दर्ज करने और जांच के लिए अंबाला शहर पुलिस स्टेशन भेज दिया।

(4) मैंने रिकॉर्ड देखने के अलावा पक्षकारों के वकीलोंको सुना है।

(5) सीआरपीसी की धारा 156 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।

(1) किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी ऐसे संज्ञेय मामले की जांच कर सकेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के पास ऐसे स्टेशन की सीमा में है, उसे अध्याय XIII के उपबंधों के अधीन पूछताछ करने या विचारण करने की शक्ति होगी।

(2) ऐसे किसी भी मामले में किसी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसकीजांच करने का अधिकार इस धारा के तहत ऐसे अधिकारी को नहीं था।

(3) धारा 190 के तहत अधिकार प्राप्त कोई भी मजिस्ट्रेट उपरोक्त जांच का आदेश दे सकता है।

(6) उपरोक्त धारा पर एक नज़र डालने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि ये प्रावधान मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अपराध के संज्ञान से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियों से संबंधित हैं। इस धारा की उप-धारा 3 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत शिकायत प्राप्त करने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट को इस तरह की जांच करने का अधिकार देती है, अर्थात इस धारा की उप-धारा 1 के तहत जांच कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 शिकायत या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने या किसी अन्य स्रोत, व्यक्ति आदि से प्राप्त जानकारी पर किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए

मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संबंधित है।

(7) शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ***देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी*** **अन्य बनाम** ***नारायण रेड्डी और अन्य***[1](1) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) और 156 के तहत जांच का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का सामना किया था। विस्तृत चर्चा के बाद, यह पाया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 की उपधारा 3 के प्रावधान मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लिए बिना शिकायत में लगाए गए आरोपों की संबंधित प्राधिकारी द्वारा जांच का आदेश देने की शक्ति देते हैं लेकिन धारा 202 के तहत, मजिस्ट्रेट ऐसी शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने के बाद लेकिन आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने से पहले आगे की जांच का आदेश दे सकता है।

(8) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 की उप-धारा (1) के परंतुक का खंड (बी) न्यायालय पर एक विशिष्ट प्रतिबंध लगाता है कि वह तब तक जांच का आदेश नहीं देगा जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, की जांच नहीं की गई हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मामले के पंजीकरण के संबंध में मजिस्ट्रेट का आदेश निश्चित रूप से कानूनी रूप से अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। मामला अभी भी जांच के दायरे में है। पुलिस द्वारा की गई जांच से अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिलाहै कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए संज्ञान अपराध का कोई मामला नहीं बनता है और यह मामला केवल मजिस्ट्रेट के उपर्युक्त आदेश के कारण दर्ज किया गया

[1] 1976 एससी मामले (आपराधिक) 380।

था। इस प्रकार इस समयपूर्व चरण में, यह मजिस्ट्रेट की ओर से एक साधारण अनियमित प्रतीत होता है, जिसके परिणामस्वरूप पूरी कार्यवाही खराब नहीं होगी।

(9) शिकायत में दहेज के संबंध में सभी आरोपियों को दिए गए आरोपों को इतना अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता के सास-ससुर को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए क्योंकि आमतौर पर दूल्हा या पति विवाह के समय धार्मिक और सामाजिक समारोहों में व्यस्त होते हैं।ऐसे दूल्हे के माता-पिता दहेज की वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। पति के भाइयों का मामला भी ऐसा ही है, जब तक कि वे बहुत कम उम्र के न हों इस प्रकार किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी याचिकाकर्ताओं को दहेज या स्त्री धन देने के आरोप अस्पष्ट हैं, खासकर जब याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया हैकि इस शादी के समय भाई पति से अलग रह रहे थे। दुर्व्यवहार और क्रूरता के संबंध में आरोप स्पष्ट हैं। पहली घटना 10 अप्रैल, 1987 और दूसरी घटना 29 अप्रैल, 1987 से संबंधित है। मामले की अभी जांच की जा रही है। इस प्रकार इस स्तर पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस संबंध में आरोप प्रकृति में अस्पष्ट हैं।

(10) सुनवाई के दौरान,याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह तर्क देने की भी कोशिश की कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध करनाल जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में हुआ है, अंबाला की अदालत के पास इस पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, हालांकि उन्होंने याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं लिया है। इस संबंध में, **उन्होंने *शॉर्ट लाई* और अन्य**

बनाम श्रीमती *निशान और अन्य*[2] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है ।

---

[2] 1989 (1) हाल की आपराधिक रिपोर्टें 276।

उस मामले की टिप्पणियाँ उस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर थीं और मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ क्रूरता के कार्य पत्नी को अधिक दहेज लाने के लिए मजबूर करने के लिए किए गए थे और अंतिम कार्य उसे फेंकने के लिए किया गया था। अपने स्त्री धन का दुरुपयोग करने के लिए उसे अपने वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार इस मामले में आरोप एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर जांच पूरी होनेऔर अदालत के समक्ष चालान प्रस्तुत करने के बाद सामने आएगी। याचिकाकर्ता आरोप तय करते समय भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध के संबंध में न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बारे में मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(11) ऊपर दर्ज कारणों के कारण, इस याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण, इसे खारिज किया जाता है।

जे.एस.टी.

न्यायमूर्ति जी एस. चहल के समक्ष

एम. एम. मलिक और अन्य,- *याचिकाकर्ता,*

बनाम

प्रेम कुमार गोयल और अन्य, उत्तरदाता।

आपराधिक विविध संख्या 11343-एम 1990.

14 फरवरी, 1991।

.,J&M. मलिक और अन्य ***बहुत।*** प्रेम. कुमार गोयल और एक अन्य
(जी. एस. चहल, जे.)

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 - धारा 30. .138, 142 - *दंड प्रक्रिया संहिता* 1973 (1974 का II) - धारा 138 का *दायरा* - कंपनी *द्वारा शिकायतकर्ता को जारी चेक - बैंक द्वारा टिप्पणी के साथ चेक का अनादर करना - आहरण 1 का संदर्भ* लें - धारा 138 के तहत जारी की गई राशि की *मांग* करने वाली नोटिस - कंपनी अपनी देयता का *निर्वहन करने में विफल रही* है - देनदार भुगतान के लिए लेनदार का पता लगाने के लिए - लेनदार का भुगतान करना - लेनदार का पेहोवा में कार्यालय *होना - पेहोवा में कार्यालय रखने वाले लेनदार* का अधिकार क्षेत्र। *अदालत शिकायत की सुनवाई करेगी।*

माना गया कि धारा 138 तब लागू होती है जब धारा के तीन परंतुकों का भी अनुपालन किया जाता है। वास्तव में, जारी किए गए चेक को रद्द करने से पहले इन तीनों परंतुकों का अनुपालन किया जाना चाहिए ताकि दायित्व का निर्वहन किया जा सके और चेक की कमी के कारण अनादरण किया जा सके।यह अपराध पैदा कर सकता है। धारा 142 (बी) एक क्लिंचर प्रदान करता है। कार्रवाई का कारण तब पूरा होगा जब चेक का दराज नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पेमेंट करने में विफल रहता है। नोटिस की अवधि समाप्त होने की तारीख से ही अपराध किया हुआ माना जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के

उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा